विशेष

प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा सीखने की बुनियाद

उद्देश्य

वर्ष 2025 तक तीन–छह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ़्त, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण, विकासात्मक स्तर के अनुरूप शिक्षा और देखभाल की पहुँच को सुनिश्चित करना।

परिचय

बच्चे के सीखने की प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है। न्यूरोसाइंस के साक्ष्य बताते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास छह वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। आरंभिक वर्षों में बच्चे के मस्तिष्क के सतत विकास तथा वृद्धि को प्रेरित करने के लिए विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और प्रोत्साहन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आरंभिक वर्षों में विभिन्न स्तरों पर उपेक्षा या अभावों का सामना करने वाले बच्चों के मस्तिष्क के स्कैन के विश्लेषण से मस्तिष्क के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास में दुर्भाग्यपूर्ण कमियों का पता चलता है। इसके साथ ही संज्ञानात्मक एवं भावात्मक प्रक्रियाओं पर भी इसके विपरीत प्रभावों की जानकारी मिलती है। मस्तिष्क के उचित विकास के लिए बच्चे के आरंभिक छह वर्षों के दौरान उत्कृष्ट देखभाल, उचित पालन-पोषण, शारीरिक गतिविधियों, मनोसामाजिक वातावरण और संज्ञानात्मक तथा भावात्मक उत्प्रेरणा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है एवं इसका असर उसके जीवनभर सीखने की प्रक्रियाओं पर पड़ता है।

संज्ञानात्मक विज्ञान के ये प्रमाण विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के परिणाम हैं। ये परिणाम प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) के विभिन्न स्तरों के बच्चों पर किए गए अध्ययनों पर आधारित हैं। रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा वर्ष 1992 में 30,000 बच्चों पर किए गए *प्राथमिक कक्षाओं में ठहराव पर शालापूर्व शिक्षा का प्रभाव* शीर्षक अध्ययन में शालापूर्व शिक्षा के अनुभवों और ठहराव की दरों के बीच प्रत्यक्ष और मज़बूत सह-संबंध दिखता है। इसके साथ ही यह प्राथमिक तथा इसके आगे की कक्षाओं से संबंधित सीखने के प्रतिफल के संबंधों को भी प्रदर्शित करता है, इस विषय से संबंधित विभिन्न वैश्विक अध्ययन भी इसी प्रकार के दीर्घकालिक प्रभावों को दिखाते हैं, जैसे गुणवत्तापूर्ण शालापूर्व शिक्षा का अधिक आय, गृह-स्वामित्व की उच्च दर, बेरोज़गारी, अपराध और गिरफ़्तारी की निम्न दरों से दृढ़ संबंध है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

© NCERT not to be republished

प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019. भाग 1, स्कूली शिक्षा (पृष्ठ संख्या 58)

के विकास के संदर्भ में अनुमानित है कि एक सशक्त ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम भारत द्वारा किए जा सकने वाले बेहतरीन निवेशों में से एक होगा। अनुमान है कि इस प्रक्रिया में निवेश किए गए प्रत्येक 1 रुपये से 10 रुपये या उससे अधिक का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। सारांशत: यह माना गया है कि ई.सी.सी.ई. में निवेश से बच्चों को एक अच्छे, नैतिक, विचारवान, रचनात्मक, समानुभूतिपूर्ण और योगदान देने में सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित होने का सबसे बेहतरीन मौका मिलता है।

विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों पर किए गए अध्ययन स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि वे बच्चे जिनकी शिक्षा देर से शुरू होती है वे अपने पूरे स्कूली शिक्षण के वर्षों के दौरान पीछे रह जाते हैं। वर्तमान समय में भारत में सीखने की गंभीर चुनौती है, यहाँ बच्चे प्राथमिक स्कूल में नामांकित तो हैं लेकिन बुनियादी साक्षरता और गणना जैसे मूलभूत कौशलों को सीखने में भी असफल हो रहे हैं। इस संकट के एक बहुत बड़े हिस्से की शुरुआत कक्षा 1 में दाखिले से भी बहुत पहले होती नज़र आती है। जो बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश ले रहे हैं, उनमें से बड़ी संख्या में वे हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) के बहुत ही सीमित अनुभव से गुजरे हैं। इसके साथ ही छह वर्ष की आयु से कम के भी बहुत से बच्चे उपयुक्त पूर्व-प्राथमिक विकल्पों की कमी के कारण कक्षा 1 में प्रवेश ले रहे हैं। प्राय: ये बच्चे उससे आगे की शिक्षा में बहुत पीछे रह जाते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2016–17 के दौरान कक्षा 1 में छह वर्ष की आयु से पहले प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या 70 लाख से अधिक थी (U-DISE, 2016-17)।

औपचारिक स्कूली शिक्षा हेतु तैयारी की प्रक्रिया (grade school preparedness) में यह अंतर विशेष रूप से सुविधा-संपन्न और वंचित समूहों के बीच नज़र आता है। इसका कारण यह है कि सुविधा-संपन्न परिवारों से संबंधित विद्यार्थियों को बेहतर पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और निश्चित रूप से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच के साथ ही रोल-मॉडल, प्रिंट के अनुभव, स्कूल की भाषा का बेहतर अनुभव और घर पर ही सीखने का एक समृद्ध वातावरण मिलता है। ई.सी.सी.ई. में निवेश सभी बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था में संपूर्णता के साथ भाग लेने और आगे बढ़ने की संभावनाएँ खोलता है। ई.सी.सी.ई. समता सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम हो सकता है। बच्चों के मानसिक विकास से लेकर उनके स्कूल जाने की तैयारी, सीखने के बेहतर नतीजों, समानता और न्याय, रोज़गार के लायक बनने, देश के आर्थिक विकास एवं समृद्धि के लिए भारत को सभी की पहुँच वाले एवं गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. में निवेश करना चाहिए।

ई.सी.सी.ई. का अभिप्राय क्या है

एक–तीन साल से पहले की उम्र के दौरान गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. में माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देना शामिल है। साथ ही साथ बातचीत, खेल-कूद, चलने-फिरने, ध्वनि व संगीत और विशेष रूप से दृश्य तथा स्पर्श के साथ अन्य ज्ञानेन्द्रियों की क्रियाशीलता के द्वारा संज्ञानात्मक

© NCERT not to be republished

तथा भावात्मक उत्प्रेरण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उम्र के इस पड़ाव में भाषाओं, संख्याओं और सामान्य समस्या निवारण की परिस्थितियों से रूबरू होना महत्वपूर्ण है।

ई.सी.सी.ई. की संकल्पना में तीन–छह वर्ष की आयु तक के लिए स्वास्थ्य की देखभाल और पोषण के साथ ही साथ महत्वपूर्ण कौशल, जैसे खुद से विकसित होने वाले कौशल, माँस-पेशीय कौशल, स्वच्छता, अपनी देखभाल करने वालों से कुछ समय दूर रह पाने का कौशल, अपने साथियों के बीच सहज महसूस करने का कौशल, नैतिक मूल्यों का विकास (जैसे— सही और गलत के बीच के अंतर को समझ पाना), चलने-फिरने एवं व्यायाम द्वारा शारीरिक विकास, अभिभावकों तथा अन्य लोगों के समक्ष भावनाओं को व्यक्त करना व उनसे संवाद स्थापित करना, किसी काम को पूरा करने के लिए लंबे समय तक बैठने का और सामान्यतया सभी प्रकार की अच्छी आदतों को विकसित करने का कौशल शामिल हैं।

इस उम्र में व्यक्तिगत तथा सामूहिक खेल-आधारित शिक्षण को बच्चे की जन्मजात क्षमताओं, सहयोग की भावना, टीम वर्क, सामाजिक मेलजोल, करुणा, समता, समावेश, संवाद, सांस्कृतिक सम्मान, खुशमिज़ाजी, जिज्ञासा, रचनात्मकता जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशलों के विकास लिए उपयोगी माना जाता है। साथ ही इससे शिक्षकों, साथी विद्यार्थियों, स्टाफ के सदस्यों तथा अन्य लोगों के साथ सफलतापूर्वक एवं सम्मानपूर्वक बातचीत करने की क्षमता भी विकसित होती है। गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. इन वर्षों के दौरान अक्षरों, भाषाओं, संख्याओं, गिनती, रंगों, आकारों, चित्रकला/पेंटिंग, भीतरी-बाहरी (इनडोर-आउटडोर) खेलों, पहेलियों और तार्किक चिंतन, दृश्यकला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अंग संचालन पर ज़ोर देता है।

भारत किस प्रकार से एक बेहतरीन ई.सी.सी.ई. सुनिश्चित कर सकता है

ई.सी.सी.ई. के अंतर्गत हुए वर्तमान शोध यह स्पष्ट करते हैं कि आठ वर्ष से कम उम्र के बच्चे, अपने लिए नीतियों या किसी पूर्व-निर्धारित समय सीमा द्वारा तय समय और दिशा का अनुसरण नहीं करते। इसके फलस्वरूप शालापूर्व तथा कक्षा 1 और 2 के बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात उनकी अपनी विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहा है। यह केवल आठ वर्ष की उम्र तक ही हो पाता है कि बच्चे पूर्व-निर्धारित शिक्षण प्रक्रियाओं से सामंजस्य बिठाना शुरू कर पाते हैं।

अत: यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि तीन–आठ वर्ष की आयु-वर्ग के बच्चों के लिए एक लचीली, बहुमुखी, बहुस्तरीय, खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित और खोज-आधारित शिक्षा उपलब्ध हो। इसी के साथ यह भी स्वाभाविक ही है कि शालापूर्व (तीन–छह वर्ष की आयु) के तीन साल से लेकर कक्षा 2 (आठ वर्ष की आयु) के अंत तक की अवधि को एक 'एकल शिक्षण इकाई' अर्थात् 'बुनियादी स्तर' के रूप में देखा जाए। अत: बच्चे के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस बुनियादी स्तर के लिए एक समेकित और मूलभूत पाठ्यक्रम को विकसित करने तथा

© NCERT not to be republished

लागू करने की आवश्यकता है व साथ ही साथ इससे संबंधित शिक्षकों की तैयारी की भी आवश्यकता है।

वर्तमान समय में प्रारंभिक बाल्यावस्था से संबंधित शिक्षण के प्रमुख केंद्र आँगनवाड़ी और निजी पूर्व-प्राथमिक विद्यालय हैं। गैर-सरकारी संस्थाओं और अन्य संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले केंद्रों में आने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। भारत के उन क्षेत्रों में, जहाँ इसे बेहतर तरीके से लागू किया गया है, समन्वित बाल विकास योजनाओं (आई.सी.डी.एस.) के तत्वावधान में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की आँगनवाड़ी प्रणाली ने (विशेष रूप से माताओं और शिशुओं की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए) उल्लेखनीय कार्य किया है। इन केंद्रों ने सही मायनों में अभिभावकों को सहायता प्रदान की है और समुदायों के निर्माण में मदद की है। साथ ही इन केंद्रों ने पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता, सहायक सेवा और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क स्थापित करने में मदद की है तथा ऐसा करते हुए करोड़ों बच्चों को स्वस्थ-विकास एवं अधिक उपयोगी जीवन के लिए तैयार किया है। लेकिन कुछ आवश्यक संज्ञानात्मक कामों, खेल और सीमित अवधि के लिए देखभाल प्रदान करते हुए अधिकांश आँगनवाड़ियाँ ई.सी.सी.ई. के शैक्षिणक पहलुओं पर बहुत ही कम ध्यान दे पाई हैं। वर्तमान में आँगनवाड़ियों में संसाधनों की आपूर्ति और शिक्षा के बुनियादी ढाँचे में काफ़ी कमी है, नतीजतन उनका झुकाव दो–चार वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल करने की ओर अधिक होता है और शैक्षिक रूप से महत्वपूर्ण चार–छह वर्ष की आयु सीमा के बच्चों की तरफ कम। इसका एक और कारण प्रशिक्षित शिक्षकों या फिर आरंभिक शिक्षा के लिए समर्पित शिक्षकों की बेहद कमी भी है।

इस बीच निजी और अन्य पूर्व-प्राथमिक विद्यालय मुख्य रूप से प्राथमिक विद्यालयों के पूर्ववर्ती विस्तार के रूप में कार्य करते हैं। बच्चों के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचा और शैक्षणिक संसाधन प्रदान करते ये विद्यालय उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात के होते हैं, इनके पास खेल तथा गतिविधि-आधारित आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योग्य शिक्षा की बहुत ही सीमित व्यवस्था होती है और ये शिक्षण की औपचारिक और रटने की प्रणाली से युक्त होते हैं। आमतौर पर यहाँ नियुक्त शिक्षक भी प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा में प्रशिक्षित नहीं होते। ये आमतौर पर स्वास्थ्य के पहलुओं पर कम ध्यान देते हैं और जन्म से चार वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए काम नहीं करते।

अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा 2017 में कराए गए *प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा का प्रभाव* विषयक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि देश में विद्यालय में दाखिले के समय, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुके बच्चों के एक बहुत बड़े तबके के पास विद्यालयी शिक्षा में प्रवेश के लिए ज़रूरी दक्षताओं का अभाव था। इस प्रकार हम पाते हैं कि विद्यालय तक पहुँच की समस्याओं के साथ ही साथ आवश्यक योग्यता विकसित करने वाले पाठ्यक्रम का अभाव, योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शैक्षणिक विधियों की कमी, अगर सभी नहीं तो भी बहुत ज़्यादा, प्रारंभिक बाल्यावस्था के शिक्षण कार्यक्रमों में मौजूद हैं।

यह नीति इस बात की अनुसंशा करती है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों को शामिल करते हुए ई.सी.सी.ई. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढाँचा तैयार करे। इसका क्रियान्वयन पर्याप्त रूप से विस्तृत और सशक्त आँगनवाड़ियों, मौजूदा प्राथमिक स्कूलों के साथ स्थित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों/अनुभागों और पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रणाली के माध्यम से किया जाए। इनमें ऐसे कार्यकर्ताओं/शिक्षकों को नियुक्त किया जाए जो ई.सी.सी.ई. पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में विशेष रूप से प्रशिक्षित हों।

विभिन्न कलाओं, कहानियों, गीत, कविताओं, रिश्तेदारों का जुटना आदि से संबंधित सदियों से चली आ रही कई समृद्ध भारतीय परंपराओं को ई.सी.सी.ई. के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचे में शामिल करना आवश्यक है ताकि स्थानीय प्रासंगिकता, आनंद, उत्साह, संस्कृति तथा समुदाय की पहचान की भावना बनाए रखी जा सके। बच्चों के पालन, पोषण और शिक्षण में पारंपरिक रूप से परिवारों की भूमिकाओं को मज़बूत किया जाना चाहिए। परिवारों को पारंपरिक भूमिकाओं को पूरा करने हेतु सक्षम बनाने के लिए पारिवारिक अवकाश के नियम बनाना महत्वपूर्ण है, जो माता-पिता को शुरुआती वर्षों में अपने बच्चों की देखभाल की सुविधा प्रदान करते हैं।

छह वर्ष की आयु से पूर्व के सभी बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के प्रति सार्वजनिक प्रणाली की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए यह नीति अनुशंसा करती है कि ई.सी.सी.ई. को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाए। वर्ष 2002 में हुआ 86वाँ संविधान संशोधन राज्यों को छह वर्ष की आयु पूरा करने से पहले तक के समस्त बच्चों को ई.सी.सी.ई. प्रदान करने के लिए निर्देशित करता है और ऐसा करते हुए ई.सी.सी.ई. के सर्वव्यापीकरण के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 11 भी, प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा में संभावित सार्वजनिक प्रावधानों पर कहती है कि तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करने और छह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए ई.सी.सी.ई. प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ऐसे बच्चों के लिए मुफ़्त शालापूर्व शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करे। देश और इसके बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. से संबंधित अपनी महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए यह ज़रूरी है कि यह यथाशीघ्र लागू हो।

वर्ष 2025 तक सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशिष्ट नीतिगत प्रयास इस प्रकार होंगे—

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की पाठ्यचर्या और शैक्षिक रूपरेखा

उपरोक्त सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के तहत, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए आवश्यक पाठ्यक्रमणीय और शैक्षणिक रूपरेखा के विकास को शामिल करने के लिए रा.शै.अ.प्र.प. के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाएगा।

© NCERT not to be republished

इस रूपरेखा के दो भाग होंगे—

इसका पहला भाग, जन्म से तीन वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित दिशानिर्देशों की रूपरेखा से संबंधित होगा, जो इस आयु वर्ग के शिशुओं और बच्चों में उचित संज्ञानात्मक उद्दीपन पैदा करने हेतु माता-पिता और आँगनवाड़ी शिक्षकों/कार्यकर्ताओं का उपयोग होगा। इसके दिशानिर्देशों में सरल तथा कम लागत वाली शिक्षण सहायक सामग्रियों (जैसे— प्लास्टिक की बोतल और रंगीन गोलियों की सहायता से झुनझुने का निर्माण, साधारण संगीत ध्वनियों और बजाये जा सकने वाले ऐसे उपकरणों का निर्माण जिन पर छड़ी से प्रहार किया जा सके और अखबार को मोड़कर टोपी या नाव बनाना आदि) के निर्माण प्रक्रियाएँ शामिल होंगी; इन्हें आँगनवाड़ियों में शिल्प अभ्यास के रूप में शामिल किया जा सकता है और समुदायों में अभिभावकों के मध्य भी वितरित किया जा सकता है।

दूसरा भाग, 3–8 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों (बुनियादी-स्तर) से जुड़े शैक्षणिक रूपरेखा से संबंधित होगा। यह भाग अभिभावकों के साथ ही साथ आँगनवाड़ियों, पूर्व-प्राथमिक स्कूलों और कक्षा 1 और 2 के उपयोग के लिए होगा। इसके अंतर्गत एक लचीली, बहुस्तरीय खेल, गतिविधि और शोध-आधारित सीखने की प्रणाली विकसित करने पर ज़ोर दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य छोटे बच्चों को अक्षरों, संख्याओं, स्थानीय भाषा/मातृभाषा और अन्य भाषाओं की साधारण बातचीत, रंगों, आकारों, ध्वनियों, अंग-संचालन, खेल-कूद तथा चित्रकला, संगीत एवं स्थानीय कलाओं के घटकों को सिखाना होगा। इसके साथ ही जिज्ञासा, धैर्य, टीमवर्क, सहयोग, संवाद और समानुभूति जैसे सामाजिक-भावात्मक कौशलों का विकास करना भी होगा जो स्कूल में जाने से पूर्व की तैयारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यह शैक्षिक ढाँचा अभ्यासों, पहेलियों, रंगी जा सकने वाली किताबों, बिंदुओं को मिलाने वाले चित्र, कहानियों, कविताओं, गीत, खेल आदि से संबंधित सुझावों को भी शामिल करेगा जो बच्चों को बुनियादी स्तर पर विकसित होने में मदद करेगा।

इस रूपरेखा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, बच्चों में विकास की दृष्टि से उपयुक्त उत्कृष्ट बहुभाषी कौशलों के विकास के लिए समर्पित होगा। जन्म से तीन वर्ष की अवधि के दौरान और फिर बुनियादी स्तर से संबंधित तीन–आठ वर्ष की अवधि के दौरान बच्चे अत्यंत तीव्रता से भाषा सीखते हैं। भाषा सीखना बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

ई.सी.सी.ई. के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तथा इसके राज्य तथा स्थानीय स्तर के अन्य विभिन्न संस्करणों में भी भारत की समृद्ध परंपराओं, राष्ट्रीय के साथ-साथ स्थानीय ज्ञान, प्रथाओं, नवाचारों, कला, गीत, कहानियों, कविताओं, पहेलिओं आदि को भी व्यापकता से शामिल किया जाएगा।

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से संबंधित सुविधाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण

एक–छह वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की नवीन पाठ्यचर्या और

© NCERT not to be republished

शैक्षाणिक रूपरेखा को एक चतुर्मुखी-दृष्टिकोण प्रदान किया जाएगा—

शैक्षिक घटक को मज़बूत बनाने के लिए आँगनवाड़ी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और विस्तार— छह वर्ष तक की आयु के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर आँगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तीन-छह वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक उद्दीपन की तकनीकों और खेल-आधारित बहुस्तरीय शिक्षण में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा तथा प्रशिक्षित आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देशभर के केंद्रों में नियुक्त किया जाएगा, जिससे कि प्रत्येक आँगनवाड़ी में ऐसा कम से कम एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता हो। प्रत्येक आँगनवाड़ी को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के पाठ्यक्रमणीय और शैक्षणिक रूपरेखा के अनुसार बेहतरीन शैक्षणिक सामग्रियों से लैस किया जाएगा। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक माँ और बच्चे की आँगनवाड़ी केंद्रों तक पहुँच सरल और नि:शुल्क हो, आवश्यकता के अनुरूप देशभर में अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। इन आँगनवाड़ी केंद्रों का लक्ष्य होगा कि वे स्वास्थ्य और पोषण के महत्वपूर्ण घटकों से युक्त एक उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्र बनें।

आँगनवाड़ियों को प्राथमिक स्कूलों के साथ स्थापित करना— आँगनवाड़ी द्वारा प्रदान की जा रही व्यापक सेवाओं और प्राथमिक-स्कूल के सामंजस्यपूर्ण वातावरण में अपने भाई-बहनों और साथियों के साथ सीखने के एक बेहतर अवसर प्रदान करने की दृष्टि से जहाँ तक संभव हो, आँगनवाड़ियों को पहले से मौजूद प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थापित करना अभिभावकों तथा बच्चों के लिए लाभदायक होगा। नए आँगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्कूलों का निर्माण हेतु स्थान निर्धारण करते समय आँगनवाड़ियों तथा प्राथमिक स्कूलों को साथ-साथ एक परिसर में स्थापित करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे कि बेहतर और सशक्त विद्यालयीय-समुदायों का निर्माण किया जा सके।

पूर्व-प्राथमिक शालाओं को प्राथमिक स्कूलों के साथ स्थापित करना— वैकल्पिक रूप से, तीन–छह वर्ष आयु-वर्ग के लिए तीन वर्ष की गुणवत्तापूर्ण शालापूर्व-शिक्षा को मौजूदा या नए प्राथमिक स्कूलों के साथ जोड़ दिया जाएगा। विशेष रूप से पूर्व-प्राथमिक विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे संयुक्त विद्यालयों में स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों के विकास पर ध्यान देने वाली सेवाएँ उपलब्ध होंगी। ऐसे मामलों और इन क्षेत्रों में जन्म से तीन वर्ष की आयु-वर्ग से संबंधित देखभाल और शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य नजदीकी आँगनवाड़ी केंद्रों के ज़िम्मे होगा।

पूर्व-प्राथमिक शालाओं का निर्माण— उन क्षेत्रों में जहाँ पहले से मौजूद आँगनवाड़ी केंद्र व प्राथमिक विद्यालय तीन–छह वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, में अलग से उच्च गुणवत्तायुक्त पूर्व-प्राथमिक शालाओं को स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों के विकास पर ध्यान देने जैसी आवश्यक सेवाओं के द्वारा इन पूर्व-प्राथमिक शालाओं को सहायता प्रदान की जाएगी।

© NCERT not to be republished

उपरोक्त चारों दृष्टिकोणों को स्थानीय आवश्यकताओं और भौगोलिक तथा स्थानीय बुनियादी ढाँचों की व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर, लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि जन्म से छह वर्ष के प्रत्येक बच्चे के पास गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. की पहुँच सरल और नि:शुल्क हो। इसके लिए सभी राज्यों में इन चारों विधियों में से प्रत्येक की गुणवत्ता और परिणामों की उपयुक्त निगरानी की आवश्यकता होगी।

ई.सी.सी.ई. की समतावादी प्रकृति के कारण उन ज़िलों या स्थानों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और विशेष ध्यान दिया जाएगा जो सामाजिक और आर्थिक रूप से ज़्यादा वंचित हैं।

तीन–आठ वर्ष के आयु वर्ग से संबंधित प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रूपरेखा की प्रकृति बहुस्तरीय तथा खेल-आधारित होने के कारण, आँगनवाड़ी केंद्रों एवं पूर्व-प्राथमिक शालाओं में (तब भी जब ये प्राथमिक स्कूलों के साथ ही मौजूद होंगे) किसी प्रकार का अलगाव नहीं होगा। ऐसा अलगाव तभी किया जा सकेगा जब आधारभूत संरचना सीमित हो या कोई सामाजिक कारण हो।

सभी आँगनवाड़ी केंद्रों और पूर्व-प्राथमिक शालाओं विद्यालय परिसर को क्षेत्र के किसी एक प्राथमिक स्कूल से भौतिक या फिर औपचारिक/शैक्षणिक रूप से, विद्यालय परिसर के सबसे निचले पायदान के रूप में जोड़ा जाएगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का निरीक्षण

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के सभी पहलू मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) के दायरे में आएँगे, जिससे कि पूर्व-प्राथमिक स्कूल के स्तर से ही पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्रीय निरंतरता को सुनिश्चित किया जा सके और शिक्षा के आधारभूत पहलुओं पर देशव्यापी रूप से पर्याप्त ध्यान दिया जा सके।

महिला और बाल विकास मंत्रालय (एम.डब्ल्यू.सी.डी.) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एम.एच.एफ़.डब्ल्यू.) के परामर्श से प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के स्कूली शिक्षा प्रणाली में एकीकरण और वित्तीय प्रभावों को समझने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी। इस योजना को 2019 के अंत तक एम.डब्ल्यू.सी.डी., एम.एच.एफ़.डब्ल्यू. और एम.एच.आर.डी. द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक विशेष कार्यबल द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

वर्तमान में आँगनवाड़ी केंद्र एम.डब्ल्यू.सी.डी. के दायरे में आते हैं। इस बात की परवाह किए बिना कि कौन-सा मंत्रालय आधिकारिक रूप से आँगनवाड़ियों का संचालन करेगा (जो मंत्रालयों और संयुक्त टास्क फ़ोर्स द्वारा संयुक्त रूप से तय किया जाएगा), नीति इस बात पर ज़ोर देती है कि आँगनवाड़ियों और पूर्व-प्राथमिक शालाओं में ई.सी.सी.ई. से संबंधित पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र की योजना तथा कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी ठीक उसी प्रकार से एम.एच.आर.डी. की होगी जैसे आई.सी.डी.एस. में स्वास्थ्य सेवाओं की ज़िम्मेदारी एम.एच.एफ.डब्ल्यू की होती है। इस परिवर्तन से समस्त आँगनवाड़ियों, पूर्व-प्राथमिक स्कूलों और प्राथमिक स्कूलों में एम.एच.आर.डी. द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और आधारभूत शिक्षा के सुचारू एकीकरण में बहुत मदद मिलेगी।

© NCERT not to be republished

सीखने की उपयुक्त परिस्थितियों की रूपरेखा

एक–आँगनवाड़ियों, पूर्व-प्राथमिक स्कूलों और प्राथमिक स्कूलों में सीखने के अनुकूल उच्च-गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा होगा। अच्छा समय व्यतीत करने और सीखने के लिए आकर्षक और प्रेरणादायक स्थानों के निर्माण हेतु आवंटित निधि के अंदर ही संज्ञान विशेषज्ञों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के विशेषज्ञों, कलाकारों और वास्तुकारों को भी सम्मिलित कर राज्यवार या क्षेत्रीय आधार पर समितियों का निर्माण किया जाएगा।

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के केंद्रों का भौतिक वातावरण स्वागत योग्य और प्रेरणादायक होगा। यह सुरक्षित, स्वस्थ, प्रकाशयुक्त, बुनियादी संरचना, पेयजल और शौचालयों से लैस होगा। कक्षा-कक्ष लचीली बैठक व्यवस्था से युक्त होगा और अधिगम सामग्रियाँ सुरक्षित, उद्दीपित करने वाली, विकासात्मक रूप से उपयुक्त और सस्ती होने के साथ पर्यावरण के अनुकूल तथा स्थानीय स्रोतों से प्राप्त सामग्रियों से निर्मित होंगी। हालाँकि अधिगम सामग्रियों के चयन और निर्माण में शिक्षकों की मुख्य भूमिका होगी, लेकिन इसमें बच्चों को भी शामिल किया जा सकता है। चित्र-कार्ड, पहेलियाँ, डोमिनोज़, चित्र कथाएँ, ब्लॉक, सरल वाद्ययंत्र, नंबर टावर एंड रॉड, कठपुतलियाँ, कला-शिल्प से संबंधित सामग्रियाँ और रंग भरने की किताबें आदि अधिगम सामग्रियों के कुछ उदाहरण हैं। उच्च स्तर के उद्दीपन व जुड़ाव के लिए वर्णमाला, शब्द, संख्या, आकार, रंग आदि से युक्त पोस्टर एवं ग्राफ़िक्स को बच्चों की लंबाई के स्तर के अनुसार दीवारों पर लगाया जाएगा।

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षकों का पेशेवर विकास

राज्य सरकारें स्तर निर्धारित विशेष प्रशिक्षणों, मेंटरिंग तंत्रों और करियर मैपिंग के द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए पेशेवर तैयारी और फिर उनके सतत पेशेवर विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।

आई.सी.डी.एस. के बाल्यावस्था शिक्षा के घटक को सँभालने वाले आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से संबंधित छह महीने के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा।

ई.सी.सी.ई. के लिए एक गुणवत्तापूर्ण नियामक प्रणाली स्थापित करना

राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. नीति 2013 की संस्तुतियों के अनुसार ई.सी.सी.ई. के लिए एक प्रभावी, गुणवत्ता नियामक प्रणाली विकसित की जाएगी। आवश्यक गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए यह नियामक प्रणाली सभी पूर्व-प्राथमिक स्कूलों (सार्वजनिक, निजी एवं अनुदानित) को नियमित करेगी।

हितधारकों की ओर से प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की माँग उत्पन्न करना

ई.सी.सी.ई. की अपरिहार्यता को समझाने और इसकी माँग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि इससे संबंधित सभी हितकारकों, जैसे— नीति निर्माताओं,

© NCERT not to be republished

अभिभावकों, शिक्षकों एवं समुदाय सदस्यों, को यह समझ हो कि एक छोटे बच्चे की आवश्यकताएँ, हमारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से कितनी अलग है। यह समझ भी होना ज़रूरी है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति एक बच्चे के संपूर्ण जीवनकाल में सीखने और विकास के लिए कितनी महत्वपूर्ण है।

इसलिए अभिभावकों को अपने बच्चे की सीखने की प्रारंभिक ज़रूरतों को पूरा करने में सहयोग करने के लिए सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों की सूचनाओं, मीडिया कैंपेन, पूर्व-प्राथमिक शैक्षिक कार्यक्रमों और अभिभावकों के बीच सीधे संवाद एवं सरल प्रक्रियाओं तथा सामग्री का बड़े पैमाने पर प्रसार किया जाएगा तथा इसे प्राथमिकता प्रदान करते हुए इसका सतत विस्तार किया जाएगा।

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को शामिल करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम का विस्तार

बच्चे के मस्तिष्क विकास के सबसे महत्वपूर्ण दौर में विकास की ज़रूरतों के अनुरूप सीखने की आवश्यकता और महत्व को देखते हुए, तीन–छह वर्ष के आयु-वर्ग में मुफ़्त और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाएगा। यहाँ 'अनिवार्य' का आशय है कि सरकारी तंत्र ई.सी.सी.ई. सेवाओं के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक रूप से सर्वाधिक वंचित समाज के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए तीन–छह वर्ष आयु-वर्ग के सभी बच्चों को उचित और गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक बुनियादी ढाँचा, सुविधाएँ तथा शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

© NCERT not to be republished